

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 5748612
ग्रा0वि0-15-DMI(बजट)-02/2026

पटना, दिनांक 11/06/2026

प्रेषक,

मन्जु प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में ,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय : - विकास प्रबंधन संस्थान राज्य स्कीम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में सहायक अनुदान मद में कुल बजट उपबंधित राशि रू0 10,00.00 लाख (दस करोड़) का 33 प्रतिशत अर्थात् राशि 3,30.00 लाख (तीन करोड़ तीस लाख) रू0 की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के पश्चात आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-5743182 दिनांक-10.06.2026
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकास प्रबंधन संस्थान राज्य स्कीम अंतर्गत 25 शैक्षणिक एवं 37 गैर शैक्षणिक अर्थात् कुल 62 पदों की स्थापना एवं अन्य मदों पर होने वाले व्यय के लिए राशि रू0 1000.00 लाख (दस करोड़) का बजट उपबंध है । विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-5743182 दिनांक-10.06.2026 द्वारा बजट उपबंधित राशि 330.00 लाख (तीन करोड़ तीस लाख) रुपये की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है । वित्त विभागीय पत्रांक-314 दिनांक-01.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम (01 एवं 05 से शुरू होने वाले उपशीर्ष) अंतर्गत वित्त विभागीय पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 में निहित चौमाही प्रतिशत बंधेज की शर्तों को 33 प्रतिशत शिथिल किया गया है। तदनुसार विकास प्रबंधन संस्थान राज्य स्कीम अंतर्गत बजट उपबंधित राशि 330.00 लाख (तीन करोड़ तीस लाख) रुपये को निम्नवत् आवंटित किया जाता है:- (राशि लाख रू0 में):-

क्र0 सं0	विपत्र कोड (विषय शीर्ष) सहित	बजट उपबंधित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि (बजट प्रावधान का 33 प्रतिशत)
1	2	3	4
1	42-2203001120106 (3104)	500.00	165.00
2	सहायक अनुदान वेतन 42-2203001120106 (3106) सहायक अनुदान गैर वेतन	500.00	165.00
कुल :-		1000.00 लाख (दस करोड़)	330.00 लाख (तीन करोड़ तीस लाख)

2. राशि 330.00 लाख (तीन करोड़ तीस लाख) रुपये का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-5743182 दिनांक-10.06.2026 द्वारा स्वीकृत राशि 330.00 लाख (तीन करोड़ तीस लाख) रुपये के अंतर्गत किया जाता है।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-42 के तहत स्तम्भ- 2 में अंकित मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-112-इंजिनियरी/ तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, उप शीर्ष-0106 -डैवलपमेंट मैनेजमेंट इन्स्टीच्यूट, विपत्र कोड-42-2203001120106, समूह शीर्ष राज्य स्कीम कोड के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकलनीय है।

4. अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8593 वि0(2) दिनांक-27.11.2007 में निहित प्रावधान के अंतर्गत की जायेगी।

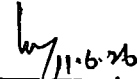
5. अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना आवंटित राशि की निकासी कर Development Management institute Society, Canara Bank, Account No.-8531101013041, IFSC Code- CNRB0008531, BSEB Branch, Patna, Bihar के बैंक खाते में जमा कर देंगे। निदेशक, DMI इस राशि का व्यय करेंगे तथा उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 दिनांक- 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों/ परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में राशि व्यय की जाएगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355वि (2) दिनांक-05.10.2007 में निहित निदेश के आलोक में राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

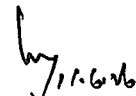
विश्वासभाजन


(मन्जु प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5748612 पटना, दिनांक 11/06/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

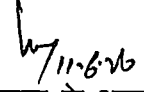
ज्ञापांक 5748612 पटना, दिनांक 11/06/2026

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार (सिंचाई भवन), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5748612 पटना, दिनांक 11/06/26

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान, उद्योग भवन, द्वितीय तल, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना-800004/आईटीओमैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) /विभागीय लेखा शाखा/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव